

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -172/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

रमेश चन्द्र महतो बनाम गुरु चरण महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

रमेश चन्द्र महतो पिता-साहेब राम महतो,
ग्राम-कम्बो टोला जाराडीह, पो०-अम्बाझरिया,
थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, जाति-कुर्मी,
पेशा-खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

गुरु चरण महतो पिता-स्व० धनीराम महतो,
ग्राम-डोमनडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री राजेन्द्र महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-11/02/2023 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता गुरु चरण महतो पिता-स्व० धनीराम महतो, ग्राम-डोमनडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डोमनडीह	सोनाहातु/83	37	360	04 डी० चौहद्दी:- उ०-श्रृष्टि महतो। द०-उमेश महतो। पू०-विक्रेता नीज। प०-सहायक रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-78(ii) दिनांक-03/03/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रतन महतो वो पुरा महतो वो फउदा महतो वो चइतन महतो पे० करमु महतो वो झुपरा महतो पिता-खुदी महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम रतन महतो वो पूरा महतो वो फौउदा महतो वो चैतन महतो पे० करमु महतो वो शिव महतो वो शिबु महतो पे०-झुपरा महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-6.97 एकड़ भूमि है।
- (3) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022-23 तक वसूली गयी है।
- (4) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा-पोता का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

- (6) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-6.93 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (7) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को जरूरी आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (8) क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति के हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही अंचल क्षेत्र के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता रमेश चन्द्र महतो पिता-साहेब राम महतो, ग्राम-कम्बो टोला जाराडीह, पो०-अम्बाझरिया, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता गुरु चरण महतो पिता-स्व० धनीराम महतो, ग्राम-डोमनडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-11/02/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता रमेश चन्द्र महतो पिता-साहेब राम महतो, ग्राम-कम्बो टोला जाराडीह, पो०-अम्बाझरिया, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता गुरु चरण महतो पिता-स्व० धनीराम महतो, ग्राम-डोमनडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डोमनडीह	सोनाहातु/83	37	360	04 डी० चौहद्दी:- उ०-श्रृष्टि महतो। द०-उमेश महतो। पू०-विक्रेता नीज। प०-सहायक रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू (राँची)

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू (राँची)